न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 84 / 2017 **दायर दिनांकः 05.06.2017**

उनवान

1. नाथूलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र किशोरनाथ जाति नाथ निवासी उदपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. जानकीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र नन्दलाल जाति मीणा निवासी उदपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्री लाल नागर।

निर्णय

दिनांक 19.08.2019

पत्रावली पेश हुई,वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 183, 188 आर टी एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल उदपुरिया तह0 अटरू जिला बारां में वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता सं0 70 का ख0नं0 208 का रकबा 0.90 है0, ख0नं0 209 का रकबा 0.17 है0, ख0नं0 220 का रकबा 0.31 है0 ख0नं0 231 का रकबा 0.76 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.14 है0 स्थित दर्ज है वाद पत्र के साथ में नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 नकल खसरा गिरदावरी एवं नकल नक्शा ट्रेस पेश है, जो काबिल गौर है। वादी वाद पत्र के मद नं0 1 मे वर्णित अपने स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा था लेकिन प्रतिवादी तथा उसके लड़के अनिल ने वादी तथा वादी के लड़के के साथ जमीन काश्त को लेकर मारपीट की थी जिससे वादी के लड़के का हाथ टूट गया था उसके बाद में प्रतिवादी के लड़के ने धमकी दी कि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी को काश्त करने गया तो अच्छा नही होगा तथा प्रतिवादी एवं उसके लड़के ने वादी एवं उसके पुत्र को ओर मारने एवं जमीन पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। उक्त घटना दिनांक 29 / 03 / 2017 की है। वादी का खेत ख.नं. 220 का रकबा 0.31 है0 सरकारी भूमि के लगवा स्थित है। दिनांक 24.05.2017 को प्रतिवादी एवं उसके लड़के ने वादी को धमकी दी कि खेत पर जाकर काश्त करने का प्रयास किया तो धारियों से हाथ पैर काट देगें जिसकी रिपोर्ट वादी ने था अटरू मे दर्ज कराई है। इस तरह से दादागिरी के बलबूते पर अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादी एवं उसका लड़का

वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका वादी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर प्रतिवादी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहा और प्रतिवादी ने वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 220 का रकबा 0.31 है0 पर जबरन कब्जा कर लिया तो वादी अपने स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर प्राप्त चले आ रहे हक हकूकों से वंचित हो जावेगा जिसके फलस्वरूप वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। इस वजह से वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की पारित की जावें कि प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 208 का रकबा 0.90 है0, ख0नं0 209 का रकबा 0.17 है0, ख0नं0 220 का रकबा 0.31 है0, ख0नं0 231 का रकबा 0.76 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.14 है0 वाके ग्राम एवं माल उदपुरिया तहसील अटरू को वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे, उपयोग उपभोग करने देवें। यदि दौराने वाद प्रतिवादी वादी के स्वामित्व की आराजी पर जबरन कब्जा कर ले तो उसे बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावें। इस हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 29.03.2017 को प्रतिवादी व उसके लड़के द्वारा वादी के खेत पर जबरन कब्जा करने के आशय में वादी के साथ गम्भीर मारपीट करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 24.05. 2017 को प्रतिवादी द्वारा वादी को खेत पर जाने पर धारियों से मारने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल उदपुरिया तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की पारित की जावें किः–

(अ) प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के स्वामित्व एवं काश्त की आराजी ख0नं0 208 का रकबा 0.90 है0, ख0नं0 209 का रकबा 0.17 है0, ख0नं0 220 का रकबा 0.31 है0, ख0नं0 231 का रकबा 0.76 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.14 है0 वाके ग्राम एवं माल उदपुरिया तहसील अटरू

को वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे, उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार से व्यवधान पैदा नही करें।

(ब) दौराने वाद प्रतिवादी वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेवे तो उसे बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावें।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की की गई, प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में आराजी स्थित होना स्वीकार है शेष विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 का विवरण अस्वीकार है तथा कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कभी जमीन काश्त को लेकर कोई लडाई–झगडा नही हुआ। प्रतिवादी के भी खाल के दूसरी ओर जमीन खाते दर्ज है जिसके लगवा सरकारी जमीन स्थित है उक्त सरकारी 4–5 बीघा जमीन पर प्रतिवादी 50–60 वर्ष से काश्त करता चला आ रहा है। जिसके 91 के नोटिस प्रतिवादी को तहसीलदार साहब अटरू द्वारा दिये जाते है। नोटिस की पालना में प्रतिवादी जुर्माना राशि अदा करता चला आ रहा है। प्रतिवादी ने वादी के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा नही कर रखा है। वादी जबरन ही प्रतिवादी के कब्जे शुदा सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए वादी ने झूठे मनगढ़न्त तथ्यों पर यह वाद पेश किया है। 91 नोटिस की प्रति साथ में संलग्न है। वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है तथा कथन है कि वादी के भी लगभग 13.50 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। प्रतिवादी ने वादी की किसी भी भूमि पर कब्जा नही कर रखा है इसलिए वादी प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है। वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है तथा कथन है कि वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ। वाद पत्र की मद नं0 5 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है। अनुतोष वादी अस्वीकार है।

–::<u>विशेष आपत्तियॉ</u> ::–

वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कभी जमीन काश्त को लेकर कोई लड़ाई–झगड़ा नही हुआ। प्रतिवादी के भी खाल के दूसरी ओर जमीन खाते दर्ज हैं जिसके लगवा सरकारी जमीन स्थित हैं उक्त 4–5 बीघा सरकारी जमीन पर प्रतिवादी 50–60 वर्ष से काश्त करता चला आ रहा है। जिसके 91 के नोटिस प्रतिवादी को तहसीलदार साहब अटरू द्वारा दिये जाते है नोटिस की पालना मे प्रतिवादी जुर्माना राशि अदा करता चला आ रहा है। प्रतिवादी ने वादी के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा नही कर रखा है। वादी जबरन ही प्रतिवादी के कब्जे शुदा सरकारी जमीन पर

कब्जा करना चाहता है। जिसका वादी को कोई कानूनी अधिकारी नही है। वादी ने झूठे मनगढन्त तथ्यो पर यह वाद पेश किया है। वादी के भी लगभग 13.50 बीघा जमीन खाते दर्ज है परन्तु वादी ने उसके लगवा की 4–5 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। प्रतिवादी ने वादी की किसी भी भूमि पर कब्जा नही कर रखा है इसलिए वादी प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

दौनो पक्षो के अधिवक्ताओं द्वारा कथन किया गया कि हम दौनों पक्ष इस बात से सहमत है कि उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा हो तो उसे बैदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावें। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नही है। अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया विवादित आराजी ग्राम वाके ग्राम एवं माल उदपुरिया तह0 अटरू जिला बारां में वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता सं0 70 का ख0नं0 208 का रकबा 0.90 है0, ख0नं0 209 का रकबा 0.17 है0, ख0नं0 220 का रकबा 0.31 है0 ख0नं0 221 का रकबा 0.76 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.14 है0 स्थित दर्ज है खातेदार नाथू पुत्र किशोरनाथ वादी के नाम दर्ज है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–:कियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम वाके ग्राम एवं माल उदपुरिया तह0 अटरू जिला बारां में वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता सं0 70 का ख0नं0 208 का रकबा 0.90 है0, ख0नं0 209 का रकबा 0.17 है0, ख0नं0 220 का रकबा 0.31 है0 ख0नं0 221 का रकबा 0.76 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.14 है0 स्थित है जो वादी के खाते दर्ज है। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है। कि विवादित आराजी का सीमाज्ञान दौनों पक्षों की उपस्थिति में किया जावें। यदि वादी की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा हो तो उसे बैदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 84 / 2017

उनवान

1. नाथूलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र किशोरनाथ जाति नाथ निवासी उदपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. जानकीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र नन्दलाल जाति मीणा निवासी उदपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्री लाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम वाके ग्राम एवं माल उदपुरिया तह0 अटरू जिला बारां में वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता सं0 70 का ख0नं0 208 का रकबा 0.90 है0, ख0नं0 209 का रकबा 0.17 है0, ख0नं0 220 का रकबा 0.31 है0 ख0नं0 221 का रकबा 0.76 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.14 है0 स्थित है जो वादी के खाते दर्ज है। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है। कि विवादित आराजी का सीमाज्ञान दौनों पक्षों की उपस्थिति में किया जावें। यदि वादी की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा हो तो उसे बैदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 22.08.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.09.04 16:09:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: